संख्या: 2062 / VII-2 / 70–उद्योग / 2006

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक: 22 मई, 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत लघु उद्योगों की गणना योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 453 / उ0नि0 / (दो)–27 बजट (गणना)–मांग 2008–09 दिनांक 01 मई, 2008 एवं अपर सचिव एवं विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 14(9) / 2006–एस0एवडी0(सैन्सस) दिनांक 23 अप्रैल 2008 (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु उद्योगों की गणना योजना (100% के0स0) के अन्तर्गत निम्नांकित मदों हेतु कुल रू0 25.75 लाख (रू0 पच्चीस लाख पिच्यहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0101–लघु उद्योगों की गणना योजना (100% के0स0):

कोड / मद का नाम		आयटित बजट (रू0 हजार में)
01–	वेतन	500
03–	महगाई भत्ता	375
04–	यात्रा व्यय	50
06–	अन्य भत्ते	80
07–	मानदेय	500
08–	कार्यालय व्यय	100
11–	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	100
13–	टेलीफोन पर व्यय	20
15–	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	60
18–	प्रकाशन	40
27–	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	70
42–	अन्य व्यय	80
46–	कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	200
47–	कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	150
48–	महगाई वेतन	250
	कुल योग:	2575

(रूपये पच्चीस लाख पिच्यहत्तर हजार मात्र)

2– उक्त धनराशि इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त योजना हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देशानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के समतुल्य ही धनराशि का व्यय हेतु आहरण किया जायेगा। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा।

3– व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाये।

4– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर सी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव) कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

5– उक्त योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य हेतु भारत सरकार से प्राप्त मदों की निरन्तरता की स्वीकृति के क्रम में तथा बजट स्वीकृति की प्रत्याशा में धनराशि इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर इस धनराशि का समायोजन करा लिया जायेगा।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 01–लघु उद्योगों की गणना योजना (100% केन्द्राश0) के अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 535/XXVII(2)/2008 दिनांक 19 मई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 हेमलता ढौंढियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 2062(1)/VII-2/70–उद्योग/2006, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन/अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2
8. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंढियाल)
अपर सचिव।